संख्या-55/2022/369/24-1-22-14 पी/2005

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2022**

विषय:-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण पर वर्ष 2021-22 में ब्याज के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या–2182/अधि0नि0(वित्त)/निधि-।।/आर(डिस्ट)/04-05/97/2004, दिनांक 21 मार्च, 2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2049-01-200-03-32 के भारित मद में कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 110,25,45,000/- (रूपये एक सौ दस करोड़ पच्चीस लाख पैंतालिस हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 25,58,97,293/- (रूपये पच्चीस करोड़ अठ्ठावन लाख सत्तांनवे हजार दो सौ तिरांनवे मात्र) में से वितरण निगमों द्वारा आर0ई0सी0, नई दिल्ली को ब्याज की भुगतान हेतु प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि रूपये 23,60,56,557/- (रूपये तेईस करोड़ साठ लाख छप्पन हजार पॉच सौ सत्तावन मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि के सापेक्ष आहरित धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहॉ से धनराशि आहरित की गयी, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज तथा वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखा शीर्षक-''2049-ब्याज अदायगियॉ-01-आंतरिक ऋण पर ब्याज-200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज-03-राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज-32-ब्याज/लाभांश'' भारित मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-3485-दस-2021-22, दिनांक 26 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या- 55/2022/369(1)/24-1-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, कोर-4, स्कोप काम्पलेक्स-7, लोधीरोड नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in